जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.03.2025

* मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा महाकुम्भ मेला 2025 प्रयागराज से जल लाकर आम जनमानस को वितरित किया गया*

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के निर्देशन में आज दिनाँक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा पुलिस लाइन संतकबीरनगर में महाकुम्भ मेला 2025 प्रयागराज के सफल आयोजन के उपरान्त महाकुम्भ न पहुँच पाने वाले आम जनमानस को संगम का जल फायर टैंकर में लाये गये पवित्र जल को आम जनमानस को वितरण किया गया। पुलिस लाइन जनपद संतकबीरनगर में अग्निशमन तथा आपात सेवा जनपद संतकबीरनगर के फायर टैंकर लाकर वितरित किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* यातायात प्रभारी *श्री परमहंस* सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/ 126/ 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 55 वाहनों से 57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनों से 57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन, अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए सख्त दिशा-निर्देश

आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम महोदय द्वारा सैनिक सम्मेलन कर जनपद के सभी थानों व शाखाओं से आये पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी व उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों तथा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया। आपरेशन कनविक्शन के तहत गम्भीर अपराधों, हत्या दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, लूट आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये। चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये साथ ही आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत अपने-अपने थानाक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिष्ठानों, गांवों आदि में लोगों से संपर्क स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा सड़क मार्ग को कवर करते हुए लगवाने हेतु बताया गया।

गोष्ठी के दौरान समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी सहित समस्त शाखा/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।